<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>10/10/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के मामले में 09.10.2024 को **1002.79 करोड़ रुपये (लगभग)** मूल्य की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के मुंबई, औरंगाबाद, बीड और जालना जिलों में स्थित भूमि और भवनों के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने सुरेश कुटे और अन्य द्वारा मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) के माध्यम से निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के संबंध में आईपीसी, 1860 और एमपीआईडी अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं के तहत महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा मई से जुलाई 2024 के महीनों के दौरान दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

डीएमसीएसएल का प्रबंधन और नियंत्रण सुरेश ज्ञानोबाराव कुटे, यशवंत वी कुलकर्णी और अन्य लोगों के पास था। इसने विभिन्न जमा योजनाएं शुरू कीं और 12% से 14% तक ब्याज देने का दावा किया। जांच के दौरान, यह पाया गया कि सुरेश कुटे और अन्य ने 4 लाख से अधिक भोले-भाले निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके डीएमसीएसएल में पैसा जमा करने के लिए लुभाया। हालांकि, डिपॉजिट (जमा) परिपक्व होने पर निवेशकों को कोई भुगतान नहीं किया गया या केवल आंशिक भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को धोखा दिया गया।

ईडी की जांच से पता चला कि डीएमसीएसएल के फंड को सोसाइटी के प्रबंधन द्वारा गबन किया गया था, जिसमें सुरेश कुटे और अन्य ने कुटे समूह (सुरेश कुटे और उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना कुटे के स्वामित्व वाली कंपनियों का समूह) की विभिन्न कंपनियों को ऋण की आड़ में 2318.45 करोड़ रुपये (अपराध की आय) की राशि को अवैध रूप से और धोखाधड़ी से हटाने के लिए आपराधिक साजिश रची। इन फर्जी ऋण राशियों के वितरण के बाद, उनके द्वारा कुटे समूह की संस्थाओं के कई खातों के माध्यम से या सीधे नकदी के रूप में धन की हेराफेरी की गई। डीएमसीएसएल से प्राप्त धन का उपयोग अपने निजी लाभों जैसे नए व्यवसायों में निवेश, संपत्ति खरीदने और व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया गया।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 09.08.2024 और 20.09.2024 को तलाशी अभियान चलाया था। इन तलाशी अभियानों के दौरान, 9.2 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति फ्रीज/जब्ती की गई थी। ईडी ने 24.09.2024 को 85.88 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया। इस मामले में अब तक कुल जब्ती/फ्रीजिंग और कुर्की **1097.87 करोड़ रुपये (लगभग)** है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।